कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गढ़वा

(महात्मा गाँधी नरेगा कोषांग)

अति अल्पकालीन निविदा (Very Short Term Tender)

(इच्छा की अभिव्यक्ति)

अपर मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–(N)526 दिनांक–03.06.2020 के आलोक में मनरेगा अन्तर्गत **''बिरसा हरित ग्राम योजना''** के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 में गढवा जिला के 20 प्रखण्ड के विभिन्न पंचायतों में योजना स्थल पर बागवानी के लिए कलमी आम, अमरूद एवं नींबू के पौधा आपूर्ति करने हेतु 15 पौधशालाओं (Nursery) को सूचीबद्ध (Empanelled) किया गया है। फलदार पौधो के क्रय के लिए इस कार्यालय का ज्ञापांक 360 दिनांक 12.6.2020 के द्वारा आमंत्रित अति अल्पकालीन निविदा की अंतिम तिथि 20.06.2020 को अपराह्न 01:00 बजे तक कोई निविदा नही डाले जाने के कारण पुनः गढ़वा जिला में पौधा आपूर्ति करने के लिए सूचीबद्ध 15 आपूर्तिकत्ताओं से पौधा क्रय करने के लिए न्यूनतम क्रय दर निर्धारण हेतु कोटेशन के लिए मुहरबंद निविदा आंमत्रित की जाती है। कोटेशन आंमत्रण हेतु सूचीबद्ध नर्सरियों की विवरणी निम्नवत है :– 1. शक्ति नर्सरी, कटक, उडीसा , 2. राजमहल नर्सरी, साहेबगंज, झारखण्ड, 3. न्यू देशप्राण नर्सरी एवं एग्रीकल्चर फार्म, विशुनपुर, पश्चिम बंगाल, 4. असीमा नर्सरी, विशुनपुर, पश्चिम बंगाल, 5. नारायण होर्टिकल्चर, नर्सरी, कांके रोड, राँची 6. ओम नर्सरी एवं होर्टिकल्चर, फार्म विशुनपुर, पश्चिम बंगाल, 7. फल उद्योग नर्सरी, महिलांग, राँची, 8.वृन्दा वन, नर्सरी हरमू, राँची 9. आदित्या हाईटेक नर्सरी, कुडू, लोहरदगा, 10. मे0 शान्ति नर्सरी, केवटिया, पश्चिम बंगाल, 11. बानाश्री नर्सरी, पश्चिम बंगाल, 12. ग्रीन गार्डन इन्टरप्राईजेज, 13. जनप्रिय नर्सरी, बसिरहाट, पश्चिम बंगाल, 14. दास नर्सरी, फतेपुर, पश्चिम बंगाल, तथा 15. प्रकाश शीड्स एण्ड नर्सरी, बिरसा बस स्टैण्ड, राँची। इसके अतिरिक्त अन्य पौधशालाओं (Nursery) की समर्पित निविदा अमान्य होगी।

अतः उपरोक्त सूचीबद्ध पौधशालाओं (Nursery) के इच्छुक आपूर्त्तिकर्त्ता **दिनांक–23.06.2020 से दिनांक–29.06.2020 को अपराहन– 02:00 बजे** तक कार्यालय अवधि में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गढ़वा में निविदा समर्पित कर सकते है। समर्पित निविदा **दिनांक–29.06.2020 को अपराहन–03:00.बजे** जिला क्रय समिति एवं निविदादाता के समक्ष खोली जायेगी। निविदा का नियम एवं शर्त की विस्तृत विवरणी गढ़वा की वेबसाईट– garhwa.nic.in पर एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गढ़वा के सूचना पट्ट से देखा जा सकता है।

मनरेगा अन्तर्गत **''बिरसा हरित ग्राम योजना''** के तहत बागवानी के लिए पौधा के आपूर्त्ति हेतु आवेदक द्वारा संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यक्रम पदाधिकारी के माँग के आधार पर निम्नलिखित शर्त्तो के अनुरूप पौधा की आपूर्त्ति करनी होगी :–

पौधा आपूर्ति के लिये शर्तः–

(A) आम पौधा (Grafted)

1. आम का पौधा आम्रपाली, मल्लिका, हिमसागर, लंगड़ा, मालदह एवं गुलाबखस प्रजाति का ही हो।
2. आम पौधा का कलम सिर्फ Veneer graft पद्धति से तैयार किया हुआ होना चाहिए।
3. पौधे का लम्बाई 2'6'' से अधिक व 5' के बीच हो।
4. पौधे में किसी प्रकार का रोग/बीमारी नहीं हो व उसमें कम से कम 2–3 स्वस्थ शाखाएँ निकला हो।
5. पौधों की उम्र कम से कम 2 वर्ष हो।
6. पौधे में जहां कलम (Grafting) किया गया हो उसके उपर (Scion) व नीचे के तने (Stock) की मोटाई समान हो।
7. तने (Stock) की लम्बाई 1–1.5 फीट हो।
8. पौधे का थैला काला पॉलीथीन का हो व थैला (Black Ploythene Bag) का आकार 6"x7" से 9"X11" का होना चाहिए। पौधा का जड़ स्वस्थ व अधिक घना हो।

Scanned with CamScanner

(B) अमरूद पौधा (Grafted/Layered)

1. पौधा अलाहाबाद सफेदा, अलका मृदूला व लखनऊ–49 (L-49) प्रजाति का ही हो।
2. पौधा कलमी या Air Layering होना चाहिए।
3. पौधे का लम्बाई 2'6'' से अधिक व 5' के बीच हो।
4. पौधे में किसी प्रकार का रोग/बीमारी नहीं हो व उसमें कम से कम 2–3 स्वस्थ Flushes निकला हो।
5. पौधों की उम्र कम से कम 1 वर्ष से अधिक हो।
6. पौधे का थैला काला पॉलीथीन का हो व थैला (Black Polythene Bag) का आकार 6"x7" से 9"X11" का होना चाहिए। पौधा का जड़ स्वस्थ व अधिक घना हो।

(C) नींबू पौधा (Grafted/Layered)

1. पौधा सिर्फ कागजी एवं साई शर्वती प्रजाति का ही हो।
2. पौधा कलमी या Air Layered होना चाहिए।
3. पौधे का लम्बाई 2' से अधिक व 4' के बीच हो।
4. पौधे में किसी प्रकार का रोग/बीमारी नहीं हो व उसमें कम से कम 2–3 स्वस्थ Flushes निकला हो।
5. पौधों की उम्र कम से कम 1 वर्ष से अधिक हो।
6. पौधे का थैला काला पॉलीथीन का हो व थैला (Black Polythene Bag) का आकार 6"x7" से 9"X11" का होना चाहिए। पौधा का जड़ स्वस्थ व अधिक घना हो।

कोटेशन डालने हेतु शर्त्तः–

- कोटेशन **दिनांक–23.06.2020 से दिनांक–29.06.2020 को अपराह्न–02:00 बजे** तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गढ़वा के कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा एवं कोटेशन **दिनांक–29.06.2020 को अपराह्न–03:00 बजे** जिला क्रय समिति की उपस्थिति में निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी।
- आपूर्ति आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अंदर सामग्रियों की आपूर्ति संबंधित प्रखण्ड के पंचायतों में अनिवार्य रूप से करना होगा, जिसके लिए अन्य कोई भत्ता/परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
- आपूर्तिकर्त्ता को अग्रधन के रूप में 5000/– (पाँच हजार) रू0 का बैंक ड्राफ्ट उप विकास आयुक्त, गढ़वा के नाम से जमा करना होगा।
- कोटेशन स्वीकृत होने पर आपूर्तिकर्त्ता यदि संमय सीमा के अन्दर पौधों की आपूर्ति नहीं करते है अथवा आपूर्ति में गड़बड़ी करते हैं, तो कोटेशन रद्द करते हुए जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
- सशर्त्त कोटेशन स्वीकार नहीं की जायेगी एवं बिना कारण बताये कोटेशन को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी/विभाग के सक्षम पदाधिकारी के पास पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा।
- वास्तविक आपूर्ति आदेश के आधार पर संबंधित पंचायत द्वारा बिल का भुगतान FTO के माध्यम से किया जायेगा।
- जिला तकनिकि समिति द्वारा निर्धारित दर अंतिम रूप से मान्य होगा।
- निविदा का पूर्णतः/अंशतः स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने, रद्द करने अथवा कार्य आदेश का निविदाताओं के बीच विभाजित करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा।

22/06/2020

उप विकास आयुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक, गढ़वा।

Scanned with CamScanner

ज्ञापांक......397............../मनरेगा, दिनांक...22.06.2020.../

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, गढ़वा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि निविदा सूचना garhwa.nic.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, गढ़वा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि निविदा सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करेंगे।

22/06/2020

उप विकास आयुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक, गढ़वा।

ज्ञापांक......397............../मनरेगा, दिनांक...22.06.2020.../

प्रतिलिपिः– उपायुक्त, गढ़वा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

22/06/2020

उप विकास आयुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक, गढ़वा।

ज्ञापांक......397............../मनरेगा, दिनांक...22.06.2020.../

प्रतिलिपिः– मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

22/06/2020

उप विकास आयुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक, गढ़वा।

Scanned with CamScanner